संख्या-14034/1/95-स्था0 (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4-5-,1995

विषय: उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में वरीयता क्रम।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की योजना, इस विभाग के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 4 अगस्त, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14015/1/78-स्था0 (घ) में निहित है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले खेलों/क्रीड़ाओं की पूर्ण सूची, इस विभाग के दिनांक 21 मार्च, 1991 के कार्यालय ज्ञापन सं0 14034/1/91-स्था0 (घ) (प्रति संलग्न) द्वारा परिचालित की गई थी।

2. खिलाड़ियों के उचित चयन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वे खिलाड़ी जो उपरोक्त संदर्भित इस विभाग के दिनांक 4.8.80 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के पैरा । में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन पर निम्न वरीयता क्रम के अनुसार विचार किया जाएगा :-

(क) प्रथम वरीयता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने युवा कार्य एवं खेल विभाग की सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है।

(ख) अगली वरीयता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने युवा कार्य एवं खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा आयोजित वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ स्तर की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है तथा मैडल
/अथवा जीते हैं / तीसरे स्थान तक पहुंचे हों। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ राष्ट्रीय
/आपसी चैम्पियनशिप/खेलों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की /तुलना में वरिष्ठ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिए हुए एवं मैडल जीते हुए उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

(ग) वरीयता के अगले क्रम में उन उम्मीदवारों को रखा जाएगा जिन्होंने एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज /अन्तर्विश्वविद्यालय क्रीड़ा बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है तथा फाइनल में मैडल जीते हैं या तीसरे स्थान तक पहुंचे हों।

....2/-

(घ) वरीयता के अगले क्रम में उन उम्मीदवारों को रखा जाएगा जिन्होंने अखिल भारतीय स्कूल क्रीड़ा संघ द्वारा आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेल/क्रीड़ाओं में राज्य के स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया है तथा मेडल जीते हैं अथवा तीसरे स्थान तक पहुँचे हों।

(ङ) वरीयता के अगले क्रम में उन उम्मीदवारों को रखा जाएगा जिन्हें राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान के अंतर्गत शारीरिक क्षमता में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया हो।

(च) वरीयता के अगले क्रम में उन उम्मीदवारों को रखा जाएगा जिन्होंने उपरोक्त "क" से "ङ" श्रेणियों में उल्लिखित स्तर पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/राष्ट्र या राज्य की स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है लेकिन वरीयता के इस क्रम में कोई मेडल या स्थान न प्राप्त कर सके हों।

टिप्पणी 1. दो खिलाड़ियों के बराबर रहने की स्थिति में जिसने ऊंचा स्थान प्राप्त किया है या एक से ज्यादा मेडल जीते हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

टिप्पणी 2. एकल तथा टीम प्रतियोगिता/खेलों में भाग लेने वालों को एक समान वरीयता दी जाएगी।

टिप्पणी 3. एक से ज्यादा मेडल जीतने/स्थान पाने वालों को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी 4. टूर्नामेंट के स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के संदेह के मामले में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा, युवा कार्य एवं खेल विभाग के परामर्श से विचार किया जाएगा।

3. दिनांक 4.8.80 के समय-समय पर यथा-संशोधित का0ज्ञा0 में निहित पात्रता, नियुक्ति, वरिष्ठता इत्यादि से संबंधित सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपरोक्त अनुदेशों को, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(हस्ताक्षर)

(वाई.जी. परांडे)
निदेशक (स्थापना)